

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च 1997

साठोकाठोनी 162 (असा०) – महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा तूत्तुक्कुडि पत्तन के लिए बोर्ड के न्यासी द्वारा बनाए गए तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास के घर निर्माण अग्रिम और इस अधिसूचना के साथ संलग्नित अनुसूची में निहितानुसार, को प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार के नियमों को अपनाने हेतु अनुमोदन देती है।

2 उक्त विनियम, शासकी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तूत्तुक्कुडि पत्तन के बोर्ड के न्यासी, उक्त अधिनियम की धारा 124 की उप धारा 1 के अधीन आवश्यकता के अनुसार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाते हैं :–

- 1 तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (घर निर्माण के लिए अग्रिम का प्रदान) विनियम, 1979 और
- 2 घर निर्माण अग्रिम को प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार के नियमों और तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी का घर निर्माण अग्रिम को प्रदान करने के लिए समय समय पर मंत्रालय द्वारा जारी निदेशों, को अपनाना।

(मिसिल नं० पीआर – 12016/3/95 – पी.ई –)

कै.वी.राव, संयुक्त सचिव